रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियमों में, नियम 3 में, संख्या तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये के स्थान पर संख्या चार लाख रुपये रखी जाएगी।

[फा. सं. 5/5/2003-आईजीसी/सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 784(अ), तारीख 06 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:-

(i) सा.का.नि.136(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009;

(ii) सा.का.नि.613(अ), तारीख 28 अगस्त, 2009;

(iii) सा.का.नि.854(अ), तारीख 01 दिसंबर, 2011; और

(iv) सा.का.नि.164(अ), तारीख 5 मार्च, 2014 ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28 th February, 2018.

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (1) of section 14, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely: –

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of January, 2016.

2. In the principal rules, in rule 3, for the figure three lakh seventy five thousand rupees the figure four lakh rupees shall be substituted.

[F. No. 5/5/2003-IGC/CS]
K. V. R. Murty, Jt. Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 784(E), dated the 6th October, 2003 and subsequently amended vide: -

(i) G.S.R. 136 (E), dated the 27th February, 2009;
(ii) G.S.R. 613 (E), dated the 28th August, 2009;
(iii) G.S.R. 854 (E), dated the 01st December, 2011; and
(iv) G.S.R. 164 (E), dated the 05th March, 2014.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.01 11:39:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.